न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 111/2024
GCMS No. 2024/507

राजवीर सिंह पुत्र श्री तारासिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढां तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

........प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांक :–16.07.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी ग्राम ढाणी बाढ़ां पटवार हल्का जसरापुर तहसील खेतड़ी की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के नया खाता सं. 8 के खसरा नंबर 380 रकबा 1.60 है., ख.नं. 456 रकबा 0.52 है., ख.नं. 467 रकबा 0.61 है., ख.नं. 482 रकबा 0.28 है., ख.नं. 393 रकबा 0.34 है., ख.नं. 494 रकबा 0.90 है., ख.नं. 495 रकबा 0.06 है., ख.नं. 496 रकबा 0.45 है., ख.नं. 497 रकबा 0.45 है., ख.नं. 816/346 रकबा 0.20 है., ख.नं. 845/660 रकबा 0.04 है. कुल किता 11 कुल रकबा 5.45 है. का संयुक्त खातेदार काश्तकार है एवं इस खाता सं. 8 में प्रार्थी का जमाबन्दी में क्र.सं. 35 पर नाम दर्ज है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/48 है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्रसिंह उर्फ राजवीरसिंह दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजवीर सिह पुत्र तारासिंह है। इसी भांति ग्राम ढाणी बाढ़ां स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 31 के खसरा नंबर 575 रकबा 1.68 है., ख.नं. 579 रकबा 1.02 है. कुल किता 2 कुल रकबा 2.69 है. भूमि का प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार है। इस खाते में प्रार्थी का नाम जमाबन्दी में क्र.सं. 2 पर दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 1/12 हिस्सा है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्रसिंह दर्ज कर दिया जो गलत है बल्कि प्रार्थी का सही नाम राजवीरसिंह है। इसी प्रकार ग्राम ढाणी बाढ़ां की जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के नया खाता सं. 32 के खसरा नंबर 385 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.29 13:10:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

0.65 है., ख.नं. 520 रकबा 1.16 है., ख.नं. 727 रकबा 0.79 है. कुल किता 3 कुल रकबा 2.60 है. भूमि में प्रार्थी का नाम क्र.सं. 6 पर दर्ज है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह दर्ज कर दिया गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी का नाम सही नाम राजवीरसिंह पुत्र तारासिंह है। ग्राम ढाणी बाढ़ां की जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के नया खाता सं. 33 के भूमि खसरा नंबर 521 रकबा 1.40 है. में भी प्रार्थी का क्र.सं. 12 पर दर्ज है उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का राजेन्द्रसिंह दर्ज कर दिया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम राजवीरसिंह पुत्र तारासिंह है। इस प्रकार ग्राम ढाणी बाढ़ां स्थित भूमि खाता सं. 8, 31, 32, 33 का प्रार्थी संयुक्त खातेदार काश्तकार है। लेकिन यहां न तो किसी हिस्से का विवाद है और न ही संयुक्त खातेदारों से कुछ चाहा है इसलिए संयुक्त खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। उपरोक्त चारों खातों में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज कर दिया गया है। प्रार्थी के पिता का देहान्त होने के बाद इंतकाल दर्ज करते समय गलत नाम ''राजेन्द्रसिंह पुत्र तारासिंह'' दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम राजवीर सिंह पुत्र तारासिंह है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम ढाणी बाढ़ां तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के नया खाता संख्या 8, 31, 32 व 33 चारों खातों की जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम राजेन्द्रसिंह के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम ''राजवीरसिंह'' दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/4720 दिनांक 09.12.2022 से बिन्दुवार रिपोर्ट भिजवाई है तथा पटवारी पटवार मण्डल जसरापुर की बिन्दुवार मूल रिपोर्ट भी संलग्न कर भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2075–78 खाता सं. 8, खाता संख्या 31, खाता सं. 32 व खाता संख्या 33 ग्राम ढाणी बाढा, फोटो प्रति प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयकर विभाग के पैन कार्ड की प्रति पेश की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.29 13:10:15 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का जसरापुर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं

तहसीलदार, खेतड़ी व पटवारी हल्का जसरापुर ने अपनी बिन्दुवार रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष को स्वीकार किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ढाणी बाढ़ां स्थित भूमि हाल खाता संख्या 8, खाता संख्या 31, खाता संख्या 32 व खाता संख्या 33 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि **"राजेन्द्र सिंह उर्फ राजवीर सिंह पुत्र तारासिंह व राजेन्द्र सिंह पुत्र तारासिंह"** के स्थान पर **"राजवीर सिंह उर्फ राजेन्द्र सिंह पुत्र तारासिंह"** दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों की शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.29 13:10:15 IST
Reason: SelfAttested